

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo_raigarh@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./

3182

/2024/रायगढ़, दिनांक :- 27.8.2024

प्रति,

Executive Director (E&S and Gare Palma),
Maharashtra State Power Generation Co. Ltd.
2nd Floor, Prakashgad, Plot No. G-9,
Dr. Anant Kanekar Marg,
Bandra (East), Mumbai- 400051,

विषय :-

Proposal for non-forestry use of 214.869 ha. Of forest land in favour of
M/s. Maharashtra State Power Generation Company Limited
(MAHAGENCO) for Gare Pelma Sector-II Open Cast Coal Mining
Project in the Mand Raigarh Coalfield, in Raigarh (Chhattisgarh)-reg.
पंजीयन क्रमांक:-FP/CG/MIN/20495/2016

संदर्भ:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 8-06/2022-FC दिनांक 27.01.2023 (अंतिम चरण स्वीकृति)
2. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. J-11015/72/2016-IA.II(M) दिनांक 13.08.2024 (पर्यावरणीय स्वीकृति)
3. छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/एफ 5-26/2021/10-2 दिनांक 22.08.2024
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-245/2085 रायपुर दिनांक 23.08.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Gare Pelma Sector -II: Coal Block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) हेतु कुल क्षेत्र 214.869 हे. वन भूमि के लिए संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान की गयी है। तथा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. J-11015/72/2016-IA.II(M) दिनांक 13.08.2024 (पर्यावरणीय स्वीकृति) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्रों सहित इस कार्यालय में जमा करें तथा निम्नांकित राशि जमा करावें:-

1. अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक ii (c) अनुसार सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण की वर्ष 2024-25 के लिए अद्यतन दर राशि रु. 11,69,680/- अनुसार व्यपवर्तित भूमि के समतुल्य निजी भूमि रकबा 214.869 अनुसार राशि रु. 25,13,27,972.00 (पच्चीस करोड़ तेरह लाख सताईस हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का 25 प्रतिशत राशि मृदा संरक्षण हेतु राशि रु. $25,13,27,972 \times 25\% = 6,28,31,993.00$ (रुपये छः करोड़ अठाईस लाख इक्तीस हजार नौ सौ तिरान्चे मात्र) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण हेतु कुल राशि 31,41,59,965.00 (इक्तीस करोड़ इक्तालीस लाख उन्सठ हजार नौ सौ पैसठ मात्र) होता है आपके द्वारा पूर्व में राशि रु. 23,60,30,105.00 राशि जमा किया जा चुका है अतः जमा योग्य अंतर की राशि रुपये 7,81,29,860.00 (सात करोड़

इक्यासी लाख उन्तीस हजार आठ सौ साठ मात्र) वेब पोर्टल में चालन जनरेट कराकर नोडल कार्यालय के अनुमोदन उपरांत कैम्पा मद में जमा कराकर इस कार्यालय को सूचित करें तदुपरांत समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

2. अंतिम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक xii (i) के पालन में सेफटी जोन रकबा 29.730 हे. लिए वर्तमान दर अनुसार राशि रु. 3,47,74,587.00 (रुपये तीन करोड़ सैतालिस लाख चौहत्तर हजार पांच सौ सतासी मात्र) होता है आपके द्वारा पूर्व में राशि रु. 2,61,26,338.00 जमा किया जा चुका है अतः जमा योग्य अंतर की राशि रु. 86,48,249.00 (रुपये छियासी लाख अडतालीस हजार दो सौ उन्चास मात्र) वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराकर इस कार्यालय को सूचित करें।

उक्त स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र एवं दस्तावेज संलग्न कर 04 प्रतियों में प्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


वनमण्डलाधिकारी

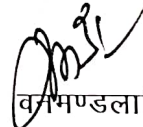
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

3183

पृ. क्रमांक/तक.अधि./

2024/रायगढ़, दिनांक :- 20.8.2024

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़